

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/बजट आवंटन/2019-20

दिनांक : 14.01.2020

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)  
माध्यमिक शिक्षा

विषय : उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति अन्य पिछड़ा वर्ग (कक्षा 11 व 12) बजट आवंटन।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति अन्य पिछड़ा वर्ग (कक्षा 11 व 12) के वर्ष 2016-17 से वर्ष 2019-20 तक के विद्यार्थियों हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्नांकित जिला शिक्षा अधिकारियों (मुख्यालय) माध्यमिक को लेखामद 2225-03-277-02-00 13 राज्यनिधि में उनके सामने अंकितानुसार बजट आवंटित किया जाता है :-

क्र.सं.	जिला का नाम	ऑफिस आई.डी.	संख्या	राशि
1	AJMER	16289	129	206400
2	ALWAR	6452	481	769600
3	BANSWARA	21127	370	592000
4	BARAN	21800	239	382400
5	BARMER	13976	172	275200
6	BHARATPUR	7236	245	392000
7	BHILWARA	17971	578	924800
8	BIKANER	3735	228	364800
9	BUNDI	17137	223	356800
10	CHITTAURGARH	21402	222	355200
11	CHURU	4492	375	600000
12	DAUSA	8914	514	822400
13	DHAULPUR	7576	165	264000
14	DUNGARPUR	20897	271	433600
15	HANUMANGARH	3282	112	179200
16	JAIPUR	10196	1731	2769600
17	JAISALMER	13291	56	89600
18	JALOR	14459	383	612800
19	JHALAWAR	22087	253	404800
20	JHUNJHUNUN	5349	158	252800
21	JODHPUR	13122	80	128000
22	KARALI	8055	237	379200
23	KOTA	21597	167	267200
24	NAGPUR	12261	144	230400
25	PALI	15571	232	371200
26	PRATAPGARH	22191	96	153600
27	RAJSAMAND	18401	139	222400
28	S.MADHOPUR	8468	360	576000
29	SIKAR	11216	190	304000
30	SIROHI	14800	97	155200
31	SRI GANGANAGAR	2735	88	140800
32	TONK	16781	202	323200
33	UDAIPUR	20688	370	592000
	<b>TOTAL</b>		<b>9307</b>	<b>14891200</b>

(अखरे रूपये एक करोड़ अड़तालिस लाख इक्यानवे हजार दौ सौ मात्र)

इस आवंटित बजट राशि का उपयोग निम्न निर्देशानुसार किया जावे :-

1. राशि का आहरण संबंधित बजट मद के अन्तर्गत आवंटित की गई राशि की सीमा में ही किया जावे।
2. छात्रवृत्ति स्वीकृति आदेश भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी मानदण्डों/दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए किए जावें।
3. छात्रवृत्ति की राशि का वितरण जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय) के कार्यालय द्वारा अपने अपने क्षेत्राधिकार के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के बैंक खातों में राशि सीधे जमा करवाई जावे।
4. राशि का आवंटन वर्तमान एवं पूर्व वर्षों के वंचित विद्यार्थियों हेतु किया गया है। अतः वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक के शेष रहे विद्यार्थियों एवं 2019-20 के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का वितरण आवंटित बजट से उनके बैंक खातों में किया जावे।
5. किसी भी स्थिति में विद्यार्थियों को आंशिक भुगतान नहीं किया जावे।



(बी.डी. शर्मा)

वित्तीय सलाहकार  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/बजट आवंटन/2019-20  
प्रतिलिपि :-

दिनांक : 14.01.2020

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
2. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर
3. सिस्टम एनालिस्ट विभागीय वेबसाइट पर जारी करने हेतु।
4. उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, \_\_\_\_\_
5. लेखाधिकारी बजट कार्यालय हाजा को ऑनलाईन जारी करने हेतु।
6. अनुभाग अधिकारी, (योजना प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
7. प्रभारी अधिकारी (छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
8. रक्षित पत्रावली।



वित्तीय सलाहकार  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर